File No: A-12025/1/2012/PBN (Computer No. E-3062497)
Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
(PSP Division)
***

Nirman Bhawan, New Delhi.
Dated: 28th March, 2025.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Amendment in Recruitment Rules for the post of Controller Publications at Department of Publication, Delhi- Regarding.

In accordance with DoPT's O.M. No. AB-14017/61/2008-Estt. (RR) dated 13/10/2015, comments of stakeholders are invited on the draft Recruitment Rules for the post of Controller of Publications in the Department of Publication, a subordinate office under the Ministry of Housing and Urban Affairs, till 27th April, 2025

Encl: As above.

Binay

(Binay Kumar Malangia)
Under Secretary (PSP)
Telephone: 011-23061828

To

The Controller of Publications,
Department of Publications,
MoHUA, Civil Lines, Delhi-110054.

Copy to:

The Section Officer (IT Cell), MoHUA, Nirman Bhawan, New Delhi with the request to upload this O.M. along with draft Recruitment Rules on the website of the Ministry as well as Notice board of e-Office.

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2025

G.S.R. ....- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Publication, Government of India (Controller of Publications) Recruitment Rules, 2015 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th June, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Controller of Publications in the Department of Publication in the Ministry of Housing and Urban Affairs, namely :-

1. Short title and commencement. -

(a) These rules may be called the Department of Publication, Controller of Publications, Recruitment Rules, 2025.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification pay band and grade pay or pay scale. – The number of the said post, its classification and the pay band and grade pays/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or Pay scale	Whether Selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Controller of Publications	1* (2025) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 12 of 7th CPC Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Two years for Armed Forces personnel re-employed.	Composite method [Promotion/Deputation (including short term contract)/re-employment of Armed Force Personnel.]

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Confirmation/Screening Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted-
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including Short Term Contact): Officers under Central/State Governments/UTs/Universities / Recognised Research Institutions / Public Sector Undertakings / Semi-Government or Autonomous or Statutory Organizations – (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointments thereto on a regular basis in the Level 11 (₹ 67,700 - 2,08,700/-) equivalent in	Departmental Committee (For consideration deputation/promotion, including short term contract): - It comprises of: - 1. **Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs- Chairman** 2. **Additional Secretary or Joint Secretary (in charge of Printing, Stationary and Publication wing), Ministry of Housing and Urban Affairs- Member** 3. **Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs - Member**	**Consultation with the UPSC is not required.**

the parent cadre department; **and** (b) Possessing the following educational qualifications and experience: i. Graduate degree from a recognized University/ Institution. ii. Five years' experience in the field of Administration / Financial matters at supervisory level. **Desirable qualification:** Post Graduate Diploma/ Degree in Management or Printing or publication or in Book Publishing including web publication. **Note 1:** Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years extendible upto five years as per DoPT guidelines. The Maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years' as on closing date of receipt of applications. **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016/the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay / pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 3:** The departmental Deputy Controller in Level- 11 in the pay matrix		

Rs. 67,700-2,08,700/- with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.		

[F. No. A-12025/1/2025-PBN]
Binay Kumar Malangia, Under Secy.

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

सा.का.नि....- संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 11 जून, 2015 के भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित प्रकाशन विभाग, भारत सरकार (प्रकाशन नियंत्रक) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से छूट गई हैं, राष्ट्रपति एतदद्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रकाशन विभाग में प्रकाशन नियंत्रक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**

    (क) इन नियमों को प्रकाशन विभाग, प्रकाशन नियंत्रक, भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।

    (ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतन मान इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं -** ऐसा कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के तहत कार्रवाई से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां सरकार एक आदेश द्वारा और कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, किसी भी वर्ग या श्रेणी या व्यक्ति के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों में छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई भी बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी, जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर**	**चयन या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रकाशन नियंत्रक	1* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स का स्तर 12	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	क्या सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सशस्त्र बलों के पुनर्नियुक्त कार्मिकों के लिए दो वर्ष	संयुक्त पद्धति [प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/सशस्त्र बल कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति]

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पुष्टि/जांच समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त	विभागीय समिति (अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर	**यूपीएससी से परामर्श अपेक्षित नहीं है।**

अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल कैडर विभाग में लेवल 11 (67,700 रु. - 2,08,700/- रु.) के समकक्ष नियमित आधार पर उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव होने चाहिए: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक की डिग्री। ii. पर्यवेक्षी स्तर पर प्रशासन/वित्तीय मामलों के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय अर्हता:** प्रबंधन या मुद्रण या प्रकाशन या वेब प्रकाशन सहित पुस्तक प्रकाशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्री।	विचार हेतु):- इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: - **1. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष** **2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (मुद्रण, स्टेशनरी और प्रकाशन विंग के प्रभारी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - सदस्य** **3. संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - सदस्य**	

टिप्पणी 1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, लेकिन जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग दिशानिर्देशों के अनुसार पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2016/उस तारीख से पहले, जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना दी गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को समतुल्य वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का एक वेतन मान में विलय हो गया हो, और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		

टिप्पणी 3: 67,700-2,08,700/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में जिसे विभागीय उप नियंत्रक ने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता हो, बाहरी व्यक्तियों के साथ उस विभागीय उप नियंत्रक पर भी विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन इस पद पर नियुक्ति के लिए किया जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।		

[फा. सं.ए-12025/1/20 25 - पीबीएन]

बिनय कुमार मलंगिया, अवर सचिव